

NHB(ND)/GSD/OUT/08393/2021
December 22, 2021

To
All Eligible PLIs who have executed MoU with NHB

Madam/Sir,


**Third-Party Audit for Pradhan Mantri Awas Yojana- Credit Linked Subsidy
Scheme (PMAY-CLSS)**

As you are aware National Housing Bank (NHB) as a Central Nodal Agency (CNA) has been working with Government of India, Ministry of Housing and Urban Affairs (MoHUA) for the implementation of Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY) - Credit Linked Subsidy Scheme (CLSS).

2. As per the Scheme Guidelines, the Primary Lending Institution (PLI) shall be responsible for ascertaining the eligibility of their home loan borrowers, through its due diligence, for availing subsidy under PMAY-CLSS and then uploading the eligible subsidy claims on the PMAY-CLSS portal maintained by the CNA.

3. In this regard, it is requested that PLI may consider to undertake third party audit to ensure necessary due diligence and compliances as per the scheme guidelines.

Yours faithfully,



(Susanta Kumar Padhi)
General Manager

रा.आ.बैंक (नदि)/जीएसडी/आउट/08393/2021
22 दिसम्बर, 2021

रा.आ.बैंक के साथ समझौता ज्ञापन निष्पादित करने वाले सभी पात्र पीएलआई

महोदया/महोदय,

प्रधानमंत्री आवास योजना – ऋण आधारित सब्सिडी योजना (पीएमएवाई-सीएलएसएस) हेतु तृतीय-पक्ष लेखापरीक्षा के संबंध में

जैसा कि आपको विदित है, राष्ट्रीय आवास बैंक (रा.आ.बैंक) प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) - ऋण आधारित सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) के कार्यान्वयन हेतु आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के साथ केंद्रीय नोडल एजेंसी (सीएनए) के रूप में कार्य कर रहा है।

2. योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, प्राथमिक ऋणदाता संस्थान (पीएलआई) पीएमएवाई-सीएलएसएस के तहत सब्सिडी प्राप्त करने हेतु उचित सावधानी बरतकर अपने आवास ऋण उधारकर्ताओं की पात्रता निर्धारित करने तथा सीएनए द्वारा अनुरक्षित पीएमएवाई-सीएलएसएस पोर्टल पर पात्र सब्सिडी दावों के डाटा को अपलोड करने हेतु जिम्मेदार होगा।

3. इस संबंध में, यह अनुरोध किया जाता है कि पीएलआई योजना दिशा-निर्देशों के अनुसार आवश्यक उचित सावधानी बरतने व अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु तृतीय पक्ष लेखा परीक्षा करने पर विचार कर सकता है।

भवदीय,



(एस. के. पाड़ी)

महाप्रबंधक